# मानव तस्करी रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पर टिप्पणी

---

**लेखक** : यह विश्लेषण और आलोचना इन कार्यकर्ताओं, वकीलों और विशेषज्ञों के योगदान के कारण संभव हो पायी है :

- आरती पाई, वकील, SANGRAM, बैंगलोर
- राकेश शुक्ला, अभिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय
- अरविंद नारायण, मानवाधिकार वकील, बैंगलोर
- स्वराज पॉल बरूहा, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, बैंगलोर
- दर्शना मित्रा, वकील, आल्टरनेटिव लॉ फोरम, बैंगलोर
- मीना सेशु, कार्यकर्ता, SANGRAM, सांगली
- मधु भूषण, SIEDS, बैंगलोर
- राजेश श्रीनिवास, कार्यकर्ता, SANGRAM, बैंगलोर

## 1. संवैधानिक चुनौती

अगर मानव तस्करी विधेयक 2018 की विधायी मंशा को समझने की कोशिश की जाए, तो इसके उद्देश्य और कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 (ITPA) के संदर्भ में हैं। इससे पता चलता है कि इस विधेयक को मानव तस्करी के बारे में पहले से बने हुए कानूनी प्रावधानों में कुछ बातें जोड़ने के लिए लाया गया है । अगर यह भी मान लिया

जाए के यह विधेयक स्पष्ट रूप से मौजूदा आपराधिक कानून का पूरक है, तब भी इसे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के चश्मे से देखना आवश्यक है । भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अध्याय को मोटेतौर पर निम्न भागों में बाँटा जा सकता है :

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19, 20, 21, 21-अ, 22)
- शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23, 24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25, 26, 27, 28)
- सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29,30,31)
- संवैधानिक उपायों का अधिकार (अनुच्छेद 32, 33, 34, 35)

अगर इस कानून के संवैधानिक आधार को समझना चाहे तो शायद इस कानून का उद्देश्य लोगों को शोषण से बचाना है । सम्बंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 होगा, जो इस प्रकार है :

*मानवों की तस्करी, बेगारी और इससे मिलते जुलते जबरन श्रम के अन्य और प्रकार प्रतिबंधित है और इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार सज़ा दी जाएगी ।*

हालाँकि, अगर अनुच्छेद 23 के आधार पर बेगारी जैसे शोषण से लोगों को बचाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है तब भी संविधान ये कहता है कि एक अनुच्छेद को लागू करने के लिए दूसरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना

चाहिए । इस विधेयक में चिंताजनक यह है कि अनुच्छेद 23 के मकसद को पूरा करने में यह अनुच्छेद 19 और 21 में दिए गए बुनियादी संरक्षणों का उल्लंघन कर रहा है । अनुच्छेद 21 जोकि भारतीय संविधान की दिल और आत्मा की तरह है कहता है कि:

*किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा बनाई गयी प्रकिया के अलावा किसी और तरीक़े से वंचित नहीं किया जा सकता।*

जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता के मायनों को सुप्रीमकोर्ट ने खुल कर समझाया है । सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहने को ही जीवन जीने का अधिकार नहीं माना जाता बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने को इस अधिकार का सही मतलब माना

गया है[1] । जीवन और निजी स्वतंत्रता की संकल्पना में निजता का अधिकार भी निहित है [2] ।

---

[1]सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि: जीवन जीने के अधिकार में, सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार के साथ-साथ पर्याप्त भोजन, कपड़ा, रहने की जगह जैसी मूल ज़रूरतों से लेकर पढ़ने-लिखने की सुविधा, अपने आप को अलग अलग माध्यम से व्यक्त करना, बिना रोक-टोक के कही आना जाना और लोगों से मिलने जुलने का अधिकार भी शामिल है । जस्टिस भगवती, फ्रांसिसकोराली मुलिन बनाम दिल्ली एवं अन्य । https://indiankanoon.org/doc/78536/

[2]पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीमकोर्ट की नौ जजों की बेंच ने माना कि निजता अकेले छोड़ दिए जाने के अधिकार की ओर भी संकेत करती है | निजता व्यक्ति की स्वायत्तता को सुनिश्चित करती है और व्यक्ति के अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता को पहचानती है। जीवन के तरीके को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत निर्णय निजता के लिए स्वाभाविक हैं। निजता भिन्नता को सुरक्षित करती है और हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को पहचानती है | हालाँकि निजता की वैध अपेक्षा आंतरिक दायरे से निजी दायरे तक और निजी दायरे से लेकर सार्वजनिक जगह तक अलग - अलग हो सकती है| मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निजता ख़त्म नहीं होती या व्यक्ति के सार्वजानिक जगह पर होने की वजह से आत्मसमर्पित नहीं की जाती| निजता मानवीय सम्मान का अहम् हिस्सा होने की वजह से व्यक्ति से

सम्मान और स्वायत्तता अनुच्छेद 21 की बुनियाद हैं । मगर मौजूदा विधेयक मानव तस्करी की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 से लेता है जिसमें पीड़ित की सहमति या असहमति को कोई जगह नहीं दी गयी है और इसी वजह से यह विधेयक 'तथाकथित पीड़ितों' की स्वायत्तता पर सीधा हमला करता है[3] ।

तस्करी किये गए लोगों को भी अपनी ज़िन्दगी का फ़ैसला लेने का अधिकार है। इस विधेयक में तस्करी किये हुए लोगों को बिना उनकी मर्ज़ी के संरक्षण संस्था

---

सीधा जुडी हुई है |

http://www.supremecourtofindia.nic.in/supremecourt/2012/35071/35071_2012_Judgement_24-Aug-2017.pdf

[3]धारा 370 का खण्ड देखें. जो भी शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को , (a ) भर्ती करता है (b ) उनका परिवहन करता है (c ) शरण में रखता है (d ) स्थानांतरण करता है (e ) प्राप्त करता है

छठा - प्रलोभन से ( जिसमें लाभ या भुगतान का लेना या देना सम्मिलित है ) ऐसे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की कोशिश करता है जो की भर्ती किये गए, ढोये गए , शरण दिए गए , स्थानांतरित किये गए या प्राप्त किये गए व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है

उसने तस्करी का अपराध किया है ।

स्पष्टीकरण 2. तस्करी का अपराध तय करने में पीड़ित की सहमति बेमायने है|

में रखा जाना भारतीय संविधान के ढांचे की उस भावना पर सीधा हमला है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी ज़िन्दगी का फ़ैसला लेने का अधिकार है[4] ।

इन विधेयक की भावना तथाकथित पीड़ितों की स्वायत्तता को नकारती है और उन्हें ऐसे मानती है जैसे कि वह अपने आप से कुछ भी करने में असमर्थ हैं । इस वजह से यह पीड़ितों के सम्मान पर सीधे तौर पर डाका डालती है । व्यक्ति के सम्मान के अधिकार में पीड़ित भी एक 'व्यक्ति' है जिसे अपनी ज़िन्दगी का फ़ैसला लेना का पूरा अधिकार है ।

पीड़ित होने या मुश्किल से मुश्किल हालत में होने पर भी किसी व्यक्ति के सम्मान और स्वायत्तता का अधिकार उसके पास ही रहता है ।

वयस्क व्यक्ति से अनुच्छेद 19 (1)(g) में दिए गए अधिकार को वापस ले लेना भी समानता के सिद्धांत पर सीधा हमला है । जहाँ भी सेक्स वर्क का प्रश्न आता है राज्य मानता है कि वयस्क होते हुए भी  इस काम से जुड़े हुए लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है । ऐसा इसलिए क्यूंकि यौनकर्मियों का काम राज्य को नैतिकता की धारणा के आड़े आता दिखाई देता है ।

राज्य को समझना चाहिए कि बहुसख्यकों की नैतिकता को लागू कराना राज्य का काम नहीं है । बल्कि राज्य की नीतियां संवैधानिक नैतिकता के दायरे में होनी चाहिए । डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता ऐसी नैतिकता है जो

---

[4]विधेयक की धारा 17 देखें

संवैधानिक अधिकारों से न टकराती हो । यह बात खासतौर पर ध्यान देना चाहिए कि यौनकर्मियों के अपनी मर्ज़ी से किये जाने वाले रोज़गार पर रोक लगा कर यह अध्यादेश जीवन जीने के अधिकार पर चोट पंहुचा रहा है। सबको समान अवसर देने की अपनी ज़िम्मेदारी में नाकाम होने के बाद राज्य ऐसे लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना रही है जो पहले से ही बहुत सारे मुश्किल हालत से गुज़र रहे हैं । ऐसा करने से राज्य केवल भारतीय समाज की संरचना के विरोधाभासों को बढ़ाता है जिसमें अमीर और गरीबों के बीच का विरोधाभास भी शामिल हैं।

## 1. अपराधीकरण न कि लोक कल्याण ?

इस विधेयक की अपराधीकरण करने की अत्यधिक मंशा सिर्फ इस बात से ही साफ़ नहीं होती कि यह ऐसी एजेंसियां और संस्थाएं बनाने की बात करता है जिनका काम पुनर्वास के नाम पर छापे और हिरासत पर केन्द्रित है । बल्कि इस विधेयक में ज़मानत का ज़रुरत से ज़्यादा कड़ा प्रावधान भी इसकी अपराधीकरण की मंशा को पूर्णतयः दर्शाता है । इस विधेयक के खण्ड 52 के अनुसार हर वो व्यक्ति जो दो साल से ऊपर सज़ा वाले अपराध का आरोपी है, उसकी अग्रिम ज़मानत के अधिकार पर रोक है। यह प्रावधान धारा 438 के तहत अग्रिम ज़मानत के लिए अदालत पहुँचने के अधिकार को स्पष्ट रूप से नकारता है । यह बेहद हानिकारक है क्योंकि संभवतः इस प्रावधान का दुरुपयोग कर पीड़ितों के खिलाफ झूठे मामले लगा के उनको फंसाया जा सकता है । और यही बात ITPA के

अनुभव से भी सामने आती है जिसमे यौनकर्मियों को कोठा मालिक और दलाल की तरह गिरफ्तार किया गया और मुक़दमा चलाया गया है। अग्रिम ज़मानत के अधिकार पर रोक लगा कर यह अध्यादेश इस क़ानून के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान ही ख़त्म कर रहा है । बैंक खातों को जाम करना और 'तस्करी के उद्देश्य' के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगहों को सील करने का प्रावधान भी आपराधिक क़ानून के तरीकों से ही इस तंत्र से निबटने की कोशिश करता दिखता है जिसमें लोग जीवनयापन के लिए अनिश्चित श्रम करने पर मजबूर होते हैं । यह अपराधीकरण दृष्टिकोण इस तथ्य में भी स्पष्ट है कि, भिखमंगी के लिए तस्करी को भी जघन्य आपराधिक तस्करी के रूप में देखा जाता है । इन मामलों में भी पीड़ित को संरक्षण गृह भेजा जाना एक बार फिर से मानव तस्करी से लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के राज्य के इरादे को धोखा देना जैसा होगा ।

इसके साथ ही यौनिक परिपक्वता जल्दी हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति पर हार्मोन या रसायनिक पदार्थों के प्रयोग को अपराध बना कर इस विधेयक ने व्यक्तियों के अन्तरंग जीवन और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पेशे को भी प्रभावी रूप से अपराधी की श्रेणी में रख दिया है । हार्मोन के प्रयोग को अपराध बना कर यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर बनी हुई रूढ़ीवादी धारणा को भी बढ़ावा देता है जिसके हिसाब से लोगों को अगवा करके हार्मोन देकर उन्हें ट्रांसजेंडर बनाया जाता है । इस तरह के मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनाया गया कोई भी तरीका अपराध की श्रेणी में आना चाहिए मगर इस बात का पूरा अंदेशा है कि

इस प्रावधान को मर्ज़ी से हार्मोन्स के इस्तेमाल के मामलों में भी किया जाएगा । इसके चलते यह प्रावधान ट्रांसजेंडर से जेंडर की पहचान और जेंडर की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर भी हमला करता है ।

## 1. छापा, बचावकार्य और पुनर्वास

यह अध्यादेश पीड़ितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था के बारे में बात करता है ।

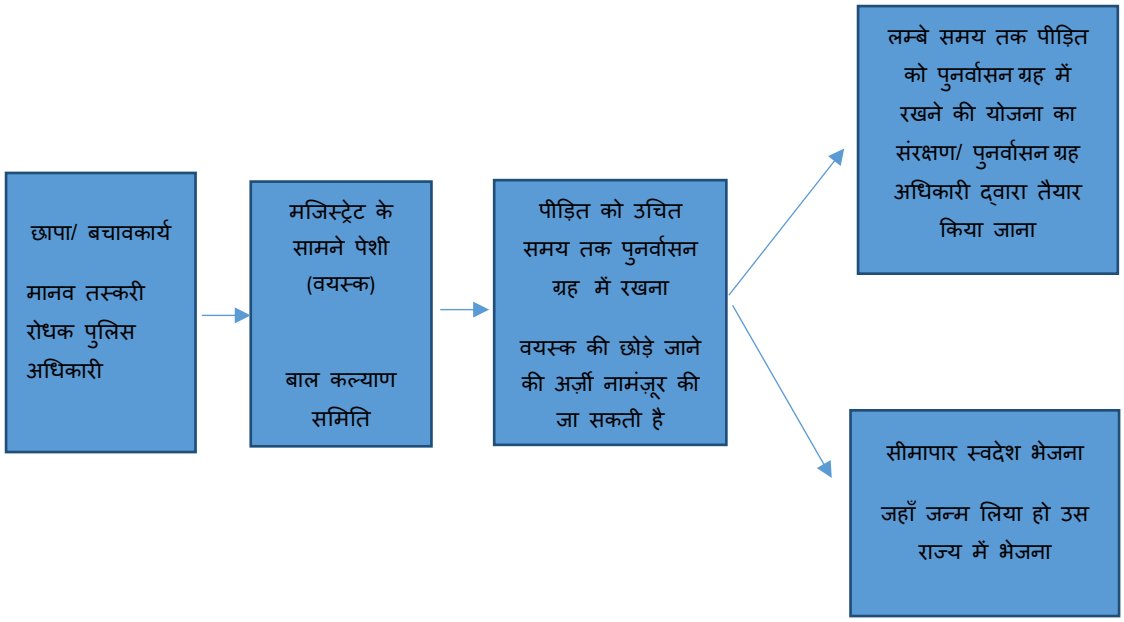


चित्र 1 प्रस्तुत अध्यादेश में पीड़ित के बचावकार्य का तरीका

धारा 16 के तहत मानवतस्करी रोधक पुलिस अधिकारी या मानवतस्करी रोधक दस्ते को शक्ति दी गयी है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा आने वाला खतरा होने पर उस व्यक्ति को किसी भी जगह या परिसर से निकाल कर मजिस्ट्रेट या बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर सकता है ।

मानवतस्करी रोधक दस्ते द्वारा वयस्क को तस्करी से छुड़ाये जाने के बाद मजिस्ट्रेट पीड़ित को संरक्षणगृह भेजने का आदेश दे सकता है (धारा 17) | और

अगर वह व्यक्ति संरक्षणगृह से छोड़े जाने की अर्ज़ी देता है तो मजिस्ट्रेट उसे इस आधार पर भी ख़ारिज कर सकता है कि व्यक्ति ने यह मांग अपनी मर्ज़ी से नहीं की है |

**अ. वयस्क व्यक्ति की सहमति को नकारेगा**

ऐसे मामले जो सीधे तौर पर ज़िन्दगी, घर और भविष्य से जुड़े हुए हैं उनमें भी वयस्कों की सहमति को नकार कर राज्य अपनी उस ज़िम्मेदारी में भी नाकाम होता दिखता है जिसमें राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह व्यक्तियों के स्वतंत्र चुनाव और कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित तो रखे ही साथ में उन अधिकारों को बढ़ावा भी दे| इस बात से जुड़े हुए दो प्रावधान ऐसे हैं जोकि परेशानी का विषय हैं |

i. ***धारा*** 17 ***की उपधारा***

*यदि पीड़ित या ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे बचाया गया वह बच्चा नहीं है और वह स्वेच्छा से - हलफनामे के साथ रिहाई के लिए एक आवेदन करता है और यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वह आवेदन स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट लिखित में अपने फैसले की वजह रिकॉर्ड करके इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है |*

प्रत्येक नागरिक को संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि वह उसके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में अपनी पसंद का प्रयोग कर सकता है| इसलिए इस क़ानून को इससे जुड़े मामलों में बचाव, पुनर्वास और अभियोजन के समय

भी सम्बंधित व्यक्ति की मर्ज़ी और सहमति को जगह देनी चाहिए | भले ही व्यक्ति को शुरूआती दौर में तस्करी द्वारा इस काम में लगाया गया हो मगर मौजूदा समय में उसकी मर्ज़ी पर ध्यान दिया जाना चाहिए |

यह विधेयक व्यक्ति के अपने ऊपर अधिकार को 'पीड़ित' कह कर नकार देता है| बल्कि बचावकार्य, और पुनर्वास को लेकर व्यक्ति की मर्ज़ी या सहमति निश्चित करने के लिए इस विधेयक में कोई भी प्रावधान नहीं है | यहाँ बचाए गए व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है |

अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 17 जोकि बचाए गए व्यक्ति की तुरंत हिरासत के बारे में है, कहती है कि संरक्षण गृह में लाये गए व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए | इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को धारा 16(1) के तहत मिली जानकारी की जाँच करनी चाहिए कि क्या व्यक्ति सच में कोठा में देह व्यापार चला रहा था या उससे ऐसा करवाया जा रहा था | मगर मौजूदा विधेयक में मजिस्ट्रेट की ऐसी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है | अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 17 के तहत पुलिस की असीम शक्ति और मजिस्ट्रेट का महिलाओं को बेमियादी रिमांड पर रखे जाने की वजह से इस क़ानून की काफ़ी आलोचना होती रही है मगर इस विधेयक की धारा 17 तो मजिस्ट्रेट को इससे भी कहीं ज़्यादा शक्तियां दे रही है | इसके अनुसार मजिस्ट्रेट को संरक्षणगृह भेजने से पहले पीड़ित को सुनने की भी ज़रुरत नहीं है| बल्कि यह विधेयक कहता है की मजिस्ट्रेट किसी वयस्क पीड़ित की रिहाई की अर्ज़ी को इस आधार पर

ख़ारिज कर सकता है की वह स्वेच्छा से नहीं दी गई है | इस अध्यादेश में मजिस्ट्रेट के संरक्षणगृह में भेजे जाने के आदेश के खिलाफ अपील का भी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है |

बचाव और पुनर्वास का तरीका महिलाओं को परेशानियों से बचाने का एक तरीका है | मगर बजाए महिलाओं के अप्रवास के लिए हिफाज़ती माहौल और क़ानून बनाने के यह नीतियाँ महिलाओं के कहीं भी आने-जाने के अधिकार पर रोक लगाने का काम कर रही हैं | यह कानून निर्दोष वयस्कों की किस्मत तय करने के लिए न्यायिक प्रणाली को बेहिसाब ताक़त दे रहा है | यह कानून, आरोपी वयस्कों के भाग्य को नियंत्रित करने और निर्णय लेने के लिए न्यायिक प्रणाली को असाधारण शक्तियां देने का प्रस्ताव करता है | लोगों की सहमति को सत्ताधिकारी की ओर से नकारा जाना एक ऐसा तरीका है जोकि लोगों की आज़ादी और उनके अपनी ज़िन्दगी पर अधिकार पर वार करता है | इसके साथ ही यह विधेयक इस तरह के घातक प्रावधान के ख़िलाफ़ अपील की कोई भी व्यवस्था नहीं देता है |

कमज़ोर समुदायों के अनुभव में अक्सर सुनने को मिलता है कि इस तरह के कानून और नीतियाँ उनपर बिना सोचे समझे पुनर्वास के नाम पर ज़बरदस्ती लागू की जाती हैं | SANGRAM और VAMP द्वारा RAIDED के नाम से एक अध्ययन किया गया | इस अध्ययन के सैंपल में महाराष्ट्र में छापों में पकड़ी गयी जो 243 महिलायें थीं उनमें से 193 वयस्क महिलायें अपनी मर्ज़ी से यौनवृत्ति

में शामिल थीं जिन्हें उनकी मर्ज़ी के बिना संरक्षणगृह में बंद कर दिया गया था | इनमें से 28 महिलायों का कहना था कि उन्हें रिहा करने से पहले 6 महीने से 3 साल तक बंद रखा गया था[5] | मौजूदा विधेयक में यौनकर्मियों के लिए यह तरीका और भी सख्त और आक्रामक होने जा रहा है | क्यूंकि अब यह उन हाशियाग्रस्त लोगों पर भी लागू होगा जो रोज़ीरोटी कमाने की कोशिश में ग़रीबी की वजह से अनिश्चित प्रकार के काम करने लगते हैं | (किराए की कोख बननेवाले, घरेलू काम करने वाले, यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर)

हमारी सिफारिश है कि विशेष गृह / संरक्षण गृह / पुनर्वास गृह में भेजने से पहले बचावकार्य में निकाले व्यक्ति की सहमति ज़रूरी हो | अगर बचावकार्य में निकाला गया व्यक्ति पुनर्वास गृह से जाना चाहे तो तो उसे उसके संज्ञान पर फ़ौरन जाने देना चाहिए | बचावकार्य में निकाले व्यक्ति के पास उसकी मर्ज़ी से पुनर्वास कार्यक्रम और योजना चुनने का हक़ होना चाहिए |

**पीड़ित के स्वेच्छापूर्ण निर्णय को सीमित करेगा**

विधेयक की धारा 17, एक मजिस्ट्रेट को पुनर्वास गृह में आरोपी वयस्कों को रखने का अधिकार देती है। उपधारा (4) के प्रावधान में कहा गया है कि पीड़ित

---

[5]RAIDED. तस्करी विरोधी रणनीतियां किस तरह से यौनकर्मियों को और शोषक स्थितियों की तरफ धकेलते हैं. तालिका 9, पृष्ठ 53 और तालिका 10,पृष्ठ 54. https://www.sangram.org/resources/RAIDED-E-Book.pdf

या उनकी ओर से कोई व्यक्ति, हलफनामे द्वारा समर्थित रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है । हालांकि, वही प्रावधान कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह पता लगा कि ऐसा आवेदन स्वेच्छा से नहीं किया गया है, तो इसे खारिज कर दिया जा सकता है । ध्यान देने योग्य यह है कि यह अनुभाग कोई भी ऐसा मानदंड निर्धारित नहीं करता है, जिसका पालन पीड़ित को पुनर्वास गृह में रखने से पहले, मजिस्ट्रेट को करना चाहिए । इसलिए, उचित मानदंडों की अनुपस्थिति में, यह पूरी तरह से मजिस्ट्रेट का निर्णय है कि एक पीड़ित महिला को पुनर्वास गृह में रखा जाए या नहीं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजकीय पुनर्वास गृह में भर्ती करने वाले अन्य अधिनियम, जैसे के, किशोर न्याय अधिनियम, यह भी उल्लेख करते हैं कि राजकीय पुनर्वास गृह में भर्ती अंतिम उपाय होना चाहिए । वास्तव में, किशोर न्याय अधिनियम बार-बार परिवार और परिचित परिवेश के महत्व पर जोर देता है । हालांकि, विधेयक यह कहीं नहीं कहता है कि तस्करी के पीड़ितों के परिवार हो सकते हैं, न ही यह पीड़ितों के वित्तीय और अन्य दायित्वों के बारे में बोलता है । जैसे कि, हमारे अनुभव अनुसार छापे में "बचाई गई" कई महिलाओं को न सिर्फ़ अपने परिवार से बल्कि अपने नाबालिग बच्चों से भी महीनों के लिए अलग कर दिया जाता है । विधेयक पीड़ितों के अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने के अधिकार के बारे में नहीं बोलता है ।

यह धारा, बौद्धदेव कर्मस्कर बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी उल्लंघन कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को पुनर्वास का लाभ

देने के नाम पर, राजकीय पुनर्वास गृह में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए ।

ii पुनर्वास

यह मान लिया गया है कि मानव तस्करी के प्रमुख कारणों में गरीबी, युद्ध, नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, सस्ते श्रम की मांग, ऋण के बदले गुलामी भी अन्य कारकों में शामिल हैं । हालांकि, वर्तमान बिल का दृष्टिकोण इसके विपरीत है ।

बंधुआ श्रम अधिनियम, बंधुआ मजदूरों को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करता है

- हर मजदूर, बंधुआ श्रम के किसी भी दायित्व से मुक्त है
- मजदूर, बंधुआ ऋण चुकाने के दायित्व से मुक्त है । वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ संपत्ति जबरन बंधुआ मजदूर से ली गई थी, तो वह उसे वापस कर दी जाएगी ।
- मजदूर की संपत्ति गिरवी रखने, दाम लगने, ग्रहण के अधिकार या समेकन से मुक्त है
- बंधुआ मजदूर को, बंधुआ मजदूरी के लिए दिए गए आवासीय परिसर से नहीं निकाला जा सकता, जिस पर उसका मजदूरी के दौरान अधिकार था ।

विधेयक की धारा 31(1) बंधुआ श्रम के उद्देश्य के लिए तस्करी को परिभाषित करता है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को संरक्षक संस्थानों में हिरासत में रखने से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मौजूदा 2018 विधेयक का दृष्टिकोण बंधुआ श्रम के लिए हिरासत पर आधारित है, जबकि बंधुआ श्रम अधिनियम में दृष्टिकोण गैर- हिरासती है और इसका उद्देश्य बंधुआ मजदूर के अधिकारों की रक्षा करना है। 2018 विधेयक के हिरासत के दृष्टिकोण को, 1976 अधिनियम (जो बंधुआ मजदूर के अधिकार और स्वेच्छापूर्ण निर्णय को कानून के केंद्र में रखता है) के पुनर्वास पे आधारित दृष्टिकोण के ऊपर महत्व देने से, 2018 विधेयक वर्तमान नव-उदार राज्य के गरीबी और श्रम के अनिश्चित रूपों के साथ निपटने के नये तरीके की तरफ़ इशारा करता है ।

प्रस्तावित विधेयक केवल पीड़ितों के बचाव, उन्हें संरक्षण घरों में रखने और उन्हें उनके मूल राज्य या देश वापस भेजने के लिए एक स्पष्ट जनादेश देता है । अंतर्निहित कारकों को हल करने का कोई प्रयास नहीं है, जिसके कारण मानव तस्करी हो सकती है, जिसमें ऋण बंधन, अधिक दर पर लिया गया ऋण, आपदाओं के कारण पलायन सम्मिलित है । प्रस्तावित विधेयक पीड़ित के ऐसे कर्ज की माफ़ी का कोई जिक्र नहीं करता है, जो पीड़ित की स्थिति कमजोर करने में एक बड़ा कारक हो सकता है।

यह विधेयक राज्य के छापे, बचाव और पुनर्वास मॉडल पर केंद्रित समाधान पर ध्यान डालता है जोकि राज्य के हिसाब से मानव तस्करी से पीड़ित

हर व्यक्ति के लिए एक ही हल है । तब भी जब पीड़ित की सहमति को नकार दिया है, ऐसे अत्यधिक सबूत हैं जोकि यह दर्शाते हैं कि इस मॉडल का प्रयोग यौनकर्मियों को जबरन लंबे समय तक कैद करने के लिए किया गया है जहाँ उन्हें न्यायिक तंत्र का सहारा भी नहीं मिलता ।

यौनकर्मियों के यह कहने के बावजूद कि वे वयस्क हैं और सहमति से इस पेशे में हैं, उन्हें "जबरन" उठा लिया जाता है, और उनके परिवारों को अदालतों में हलफनामे देने के लिए मजबूर किया जाता है कि वे फिर से इस पेशे में नहीं आएंगे । कई मामलों में, अदालतों ने एचआईवी पॉजिटिव यौनकर्मियों को यह कह कर रिहा करने से इंकार कर दिया है कि परिवार इन महिलाओं की देखभाल करने में असक्षम हैं। ये रणनीतियां महिला यौनकर्मियों को और भी छिप कर रहने में मजबूर कर देती हैं जहाँ उनके पास हिंसा और शोषण से बचने के सुरक्षा जाल भी नहीं हैं।

यह विधेयक महिलाओं की गतिशीलता का अपराधीकरण कर असमान विकास, कमजोर विकास और असमता से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा करता है, जिसमें महिलाओं के बेहतर आजीविका के लिए प्रवासन की आकांक्षाएं शामिल हैं । परेशानी और संकट (राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक) में महिलाएं बेहतर आजीविका के विकल्पों के लिए बढ़ती हैं । गरीबी भी बड़े अनुपात में महिलाओं के प्रवासन की स्थितियां पैदा करती है। क्या अपराधीकरण, हिरासत में रखना, पुनर्वासन का ढांचा ही असमताओं से जूझने का सबसे अच्छा विकल्प है?

जैसे कि, मैनुअल स्केवेंजिंग (मैला ढोने वाले) के रूप में रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 13, पुनर्वास की एक व्यापक प्रणाली को अनिवार्य करता है जोकि संरचनात्मक असमताओं के प्रति संवेदनशील है।[6]

उच्चतम न्यायलय ने बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम भारत संघ मामले में पीड़ितों की इच्छाओं के खिलाफ अल्पावास गृहों में रिमांड की व्यर्थता पर बार बार प्रकाश डाला है।[7] इसके अलावा, इसी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सैक्स वर्क पर पैनल की 7 वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि यौनकर्मियों के बच्चों के लिए दिन में और रात में चलने वाले

---

[6]

[7] दिनांक २४ अगस्त २०११ के अपने आदेश में उच्चतम न्यायलय ने कहा है; इस सम्बन्ध में हम ये कहना चाहते हैं की यौन कर्मियों को अल्पावास गृह उपलब्ध कराना उनकी दिक्कतों का हल नहीं है। उनको व्यापार के योग्य तकनीकी कौशल प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपना शरीर बेचने के बजाय इस तकनीकी कौशल से अपनी आजीविका कमा सके। केवल गृहों में भेज देना उन्हें भुखमरी में धकेलना है।... इस सम्बन्ध में हम यह कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की योजना ने यह शर्त रखी है के छुड़ाए गए यौनकर्मियों को सुधार गृह में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रहना ही है। हमारा मत यह है के ऐसी कोई शर्त थोपी नहीं जानी चाहिए क्यूंकि कई यौनकर्मी इन सुधार गृहों , जिन्हे वह आभासी जेल मानते हैं , में रहने में अनिच्छुक हैं।

देखभाल केंद्र की सुविधाओं जैसे प्रावधान स्थापित किए जाने चाहिए। हालांकि, इस विधेयक के भीतर ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र की व्यक्तियों की तस्करी पर रिपोर्ट आवास की बात करती है, और मैनुअल स्केवेंजिंग (मैला ढोने वाले) अधिनियम घर के निर्माण के लिए भूखंडों के प्रावधान की बात करता है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में यौनकर्मियों के लिए आवास के प्रावधान की सिफारिश की है। इन सिफारिशों से पता चलता है कि तस्करी की जगह से पीड़ित को केवल हटा देना उसके पुनर्वासान में सहायता नहीं करेगा। न केवल निवास, बल्कि आवास की व्यवस्था, निरंतर पुनर्वास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।

पुनर्वास उपायों में, महिलाओं की तस्करी को प्रेरित करने वाले संरचनात्मक कारकों को संज्ञान में लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैनुअल स्केवेंजिंग (मैला ढोने वाले) अधिनियम यह पहचानता है कि पुनर्वासन की प्रक्रिया आय के स्त्रोत में बाधा डाल सकती है और शोषित व्यक्तियों के परिवारों को इस शोषण से मिले सहारे को भी पहचानती है। ऐसी समझ इस विधेयक में बिलकुल नहीं है।

iii या विरोधी तस्करी अधिकारी या विरोधी तस्करी इकाई के पास एस

16. (1) जहां एक पुलिस अधिकारी या मानवतस्करी रोधक पुलिस अधिकारी या मानवतस्करी रोधक दस्ते के पास विश्वास करने का कारण होता है... वे ऐसे व्यक्ति को किसी भी जगह से हटा कर उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं... और ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए,

उसका आकस्मिक आघात, चोट या बीमारी जाँचने के लिए चिकित्सकीय परीक्षण के लिए हर ज़रूरी क़दम उठाएँगे।

इस प्रावधान के शब्दों में वयस्क व्यक्ति की सहमति लेने की आवश्यकता का ज़िक्र कहीं भी नहीं हुआ है। वयस्क व्यक्ति के किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार में सहमति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में स्थापित किया गया है। ऐसे कई मामले रहे हैं जहाँ यौनकर्मियों का चिकित्सकीय परीक्षण कर न्यायालय के साथ उनकी सहमति के बिना साझा कर दिया गया है।

एचआईवी / एड्स के जाँच परिणामों को पुनर्वास गृहों से रिहाई इंकार करने का आधार बना कर यह कहा गया है की वे व्यक्ति अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं।[8]

**4.** जिला मानवतस्करी विरोधी समिति की शक्तियां

[8] RAIDED: तस्करी विरोधी रणनीतियां किस तरह से यौनकर्मियों को और शोषक स्थितियों की तरफ धकेलते हैं। कोल्हापुर में यौनकर्मियों को पुनर्वास में रखा गया था, उन्हें इस आधार पर बहाली से वंचित कर दिया गया था कि वे एचआईवी पॉजिटिव थे और उनके परिवारों ने उनकी देखभाल नहीं की थी। (पृष्ठ 66)। https://www.sangram.org/resources/RAIDED-E-Book.pdf

प्रस्तावित विधेयक के तहत, विभिन्न विभागों, कानून स्थापित करने वाली संस्था, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों को मिलकर एक जिला मानवतस्करी विरोधी समिति ( डीएटीसी) गठित की जाएगी ।[9] डीएटीसी एक सुरक्षा या पुनर्वास गृह में पीड़ित के लिए व्यक्तिगत देखभाल की योजना बना सकता है[10], इन गृहों के लिए निर्देशों को पारित कर सकता है[11], बंधुआ मजदूरों के अंतर-राज्यीय प्रत्यवासन की सुविधा प्रदान कर सकता है[12], बचाव कार्यों में और व्यक्तियों को बचाव गृहों में स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है[13]।

समिति को पीड़ितों की पहचान, उनके बचाव, संरक्षण, सहायता, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन की पहचान के संबंध में विशाल और निरंकुश शक्तियां दी गई हैं। यह

---

[9] सदस्यों में शामिल हैं - जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष; महिला एवं बाल विकास के जिला अधिकारी - सदस्य; प्रतिनिधि, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण - सदस्य; प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति - सदस्य; मानवतस्करी की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में काम कर रहे दो सिविल सोसाइटी संगठन या गैर-सरकारी संगठन - सदस्य; ऐसे अन्य सदस्यों को निर्धारित किया जा सकता है - सदस्य; और जिला पुलिस नोडल अधिकारी - सदस्य सचिव।

[10] धारा 13 (3) i

[11] धारा 13 (3) ii

[12] धारा 13 (3) iv

[13] धारा 13 (3) vii

देखते हुए कि डीएटीसी अपनी शक्तियों का उपयोग वयस्कों के संबंध में कर रहा है जोकि किसी भी अपराध के आरोपी नहीं हैं; यह समस्याग्रस्त है कि पीड़ित के साथ परामर्श की प्रक्रिया या पीड़ित को केंद्रित रख निर्णय लेने की कमी है, वयस्क पीड़ितों के स्वेच्छापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान नहीं है। यह वयस्क के स्वेच्छापूर्ण निर्णय लेने के सम्मान को चोट पहुंचता है और संविधान के तहत सुनिश्चित वयस्क की स्वतंत्रता पर खतरनाक प्रतिबंध लगाता है।

धारा 14. अधिनियम के तहत पीड़ितों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए मामलों को निपटाने के लिए डीएटीसी का अंतिम अधिकार होगा।

डीएटीसी के निर्णय अंतिम हैं और अदालतों में पुनर्विचार के लिए खुले नहीं हैं। अगर ऐसी स्थिति में देखभाल, सुरक्षा या प्रत्यावर्तन के संबंध में डीएटीसी के फैसले से पीड़ित असहमत है या उसको चुनौती देना चाहता है, तो न्यायिक प्रणाली के भीतर भी इसके लिए कोई मार्ग नहीं है। इससे बड़ी समस्या यह है कि विशेष अदालत के अपने कार्य करने के लिए अनिवार्य संप्रेषण का प्रावधान है।

*24. (3) पीड़ित या ऐसे अन्य व्यक्ति के पुनर्वास के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले मजिस्ट्रेट जिला तस्करी विरोधी समिति से परामर्श लेगा।*

अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मजिस्ट्रेट को पीड़ित के पुनर्वास से संबंधित निर्णयों पर उसकी सहायता करने के लिए एक समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया था । वर्तमान स्थिति में, अदालत की शक्ति अनिवार्य संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है। कार्य करने के इस तंत्र

का हमेशा का एक डर यह है कि न्यायपालिका के फैसले जिला स्तर पर एक शक्तिशाली समिति द्वारा हटाए जा सकते हैं और जिसमें पीड़ितों के लिए पुनर्विचार का भी कोई सहारा नहीं है। जब अन्य प्रावधानों की तुलना में इसे पढ़ा जाता है, तो यह बिना पारदर्शिता, बिना पुनर्विचार और उत्तरदायित्व के बिना शक्तियों की एक अवांछित अभिवृद्धि दर्शाता है।

अगले खंड में वर्णित अनुसार डीएटीसी को प्रत्यावर्तन (अंतर्राज्यीय और अन्तर्देशीय दोनों) की शक्तियां भी दी गई हैं।

5. प्रत्यावर्तन और अधिकार

*धारा 26. (I) जिला तस्करी विरोधी समिति या बाल कल्याण समिति अन्य जिले में उनके समकक्षों के साथ समन्वय करके, प्रत्यावर्तन मामले के अनुसार पीड़ितों के प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।*

*(3) राज्य नोडल अधिकारी पीड़ित से प्रत्यावर्तन के लिए सूचित सहमति प्राप्त करेगा और यदि पीड़ित राज्य नोडल अधिकारी को सहमति देने की स्थिति में नहीं है, तो वह प्रशिक्षित सामाजिक मनोचिकित्सक द्वारा पीड़ित की परामर्श के लिए व्यवस्था करेगा ।*

*(4) पीड़ितों का प्रत्यावर्तन, जिला तस्करी विरोधी समिति, या बाल कल्याण समिति या राज्य पुलिस नोडल अधिकारी द्वारा बचाव की तारीख से, अंतर्राज्यीय*

*प्रत्यावर्तन तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा, अन्तर्देशीय प्रत्यावर्तन के मामले में छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा :*

प्रस्तावित कानून भारत के भीतर 'पीड़ितों' का प्रत्यावर्तन करना चाहता है, जो कि, नागरिकों की महत्वाकांक्षी प्रवास और भारत देश में सुरक्षित स्थान-परिवर्तन के अधिकार की पृष्ठभूमि को देखते हुए, समस्याग्रस्त है।

प्रस्तावित तस्करी विधेयक परामर्श के बाद "पीड़ित" को अपने मूल राज्य वापस भेजना चाहता है। यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति को क्या परामर्श देना है, यह मूल राज्य में प्रत्यावर्तन की स्थिति में नौकरी की सुरक्षा पर चर्चा नहीं करता है। इसके अलावा क्या व्यक्ति को प्रत्यावर्तन के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार करने का और इसके लिए कानूनी सहायता लेने का अधिकार है? अधिकारियों द्वारा इनकार करने के मामलों को कैसे संभाला जाएगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। पुनर्वास गृहों से व्यक्तियों को कब और कैसे छोड़ा जा सकता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (डी) सभी नागरिकों को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ई) सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार देता है। धारा 39 जो कि राज्य पुलिस नोडल अधिकारी द्वारा किसी अन्य मूल राज्य में 'पीड़ित' के प्रत्यावर्तन के लिए प्रदान किया जाता है, संबंधित व्यक्ति द्वारा निवास की जगह का चयन करने पर ही प्रयोग में आ सकता है। धारा में राज्य नोडल अधिकारी को सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए कहता है,

लेकिन "पीड़ित" के परामर्श के लिए सिफारिश करने के अलावा, पीड़ित के अपने मूल राज्य में वापस जाने की इच्छा नहीं होने पर क्या प्रक्रिया हो यह नहीं बताता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के व्यक्ति को पुनर्वास गृह भेजा जाएगा या नहीं।

*व्यक्ति की सूचित सहमति के बिना प्रत्यावर्तन का आदेश संबंधित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा*, असंवैधानिक, कानूनन गलत और नाजायज़ होगा।

भारत के हर नागरिक को भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण का अधिकार है और सभी उपलब्ध विकल्पों की जांच करने के बाद सहमति के आधार पर, मूल स्थान पर "बहाल" करने के सभी प्रयास पूरी तरह से स्वैच्छिक होने चाहिए। बचाए गए व्यक्ति को सलाह दी जानी चाहिए और सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिसमें मूल स्थान पर वापस जाने की पसंद शामिल है।

प्रभावित व्यक्ति को समिति के किसी भी आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को उचित कानूनी सहायता और अन्य कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को उनके अधिकारों के बारे में भी सलाह दी जानी चाहिए।

**प्रत्यावर्तन बनाम बहाली**

"प्रत्यावर्तन" शब्द का अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं को उनके परिवारों के साथ मिला दिया जाएगा, बल्कि केवल यह इंगित करता है कि उन्हें मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा। वर्तमान में, प्रत्यावर्तन अक्सर यह इंगित करता है कि एक महिला को एक राज्य के आश्रय गृह  से दूसरे राज्य में आश्रय गृह में स्थानांतरित किया जाएगा। एक बार वापस लौटने के बाद, महिला को अपने परिवार के साथ अंततः एकजुट होने के लिए एक और लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जे जे अधिनियम बहाली से प्रत्यावर्तन को अलग करता है, बहाली ये संकेत करता है कि बच्चा अपने परिवार के साथ मिल जाएगा, जबकि प्रत्यावर्तन एक समान सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेष में वापसी का संकेत देता है। इस तरह, तस्करी के पीड़ित के संदर्भ में, केवल प्रत्यावर्तन पर्याप्त नहीं है, और इसके अलावा, यह इंगित होता है कि भौगोलिक क्षेत्र से पीड़ित को हटाने से तस्करी की समस्या हल हो जाती है।

**6. शोषण - बेदख़ली**

*34. (I) जो भी व्यक्ति तस्करी के उद्देश्य से आवास रखता है या प्रबंधित करता है, या रखरखाव में कार्य करता है या सहायता करता है या किसी भी व्यक्ति की तस्करी के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर का प्रबंधन करता है, उसको कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लग सकता है  जो 10 लाख रुपये तक बढ़ सकता है और दोबारा या फिर से  दोषसिद्धि होने पर कम से कम  सात साल के कठोर*

*कारावास और जुर्माना जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है, से दंडित किया जाएगा।*

*(2) कोई भी -*

(i) किसी किरायेदार, पट्टेदार, अधिवासी या किसी भी परिसर का प्रभारी, उपयोग करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को परिसर के किसी भी हिस्से का उपयोग, व्यक्तियों की तस्करी के लिए करने की अनुमति देता है; या

*(ii) किसी भी परिसर के मालिक, पट्टेदार या मकान मालिक होने के नाते, या मालिक, पट्टेदार, या मकान मालिक के प्रतिनिधि होने के नाते, परिसर को या उसके किसी हिस्से को <u>पूरी जानकारी के साथ पीड़ित के शोषण की जगह के रूप में उपयोग करने का इरादा है</u>, या जानबूझकर परिसर या किसी भी हिस्से का उपयोग व्यक्तियों की तस्करी के लिए एक जगह के रूप में होना है इसका हिस्सा है।*

*पहली दोषसिद्धी पर सजा सुनाई जाएगी जो कि तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा और जुर्माना जो एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है और दोबारा या बाद में दोषसिद्धी के मामले में सजा, पांच साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ और जुर्माना जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है, होगा।*

*स्पष्टीकरण - उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, विपरीत साबित होने तक यह माना जाएगा कि उस उपधारा के खंड (I) या खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति ने परिसर का उपयोग करने या परिसर के किसी भी हिस्से को* ***शोषण की जगह के रूप में इस्तेमाल करने में उचित परिश्रम का उपयोग नहीं किया है, और उसे पूरी जानकारी है की परिसर या उसके किसी भी हिस्से को पीड़ित के शोषण के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।***

धारा 34 में तस्करी की जगह और शोषण की जगह का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पे किया गया है। शोषण का स्थान कैसे निर्धारित किया जाएगा? क्या इसे तस्करी के प्रावधानों से मिला के पढ़ा जायेगा या अपने में ही एक प्रावधान के रूप में पढ़ा जाएगा और मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। यौनकर्मियों का अनुभव कि आईटीपीए और धारा 370 के प्रावधान अलग अलग और चयनात्मक ढंग से उपयोग किए जा रहे हैं न कि तस्करी रोकने के लिए । मजिस्ट्रेट और तस्करी विरोधी एनजीओ वयस्क यौनकर्मियों को कैद करने और उन महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए "शोषण" शब्द का चयनात्मक उपयोग करते हैं जो अन्य यौनकर्मियों को काम करने के सुरक्षित माहौल देने के इरादे से अपने घर उपलब्ध करा रहे हैं।

दूसरा, प्रस्तावित बिल के शब्द अपराधियों और अधिकारियों को केवल इस आधार पर बेदखल करना चाहता है कि परिसर का उपयोग शोषण के स्थान के रूप में किया जा सकता है, जहां वास्तव में शोषण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा

है। प्रावधान में व्यापक आयाम और दुरुपयोग के लिए संभावना है क्योंकि बेदखली और सीलबंदी को इस आधार पर अधिकृत किया जा सकता है कि किसी स्थान का शोषण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

यह भी देखा जाना बाकी है कि क्या यह प्रावधान कारखानों, खानों, दवाखानों, अस्पतालों और निजी घरों तक लागू किया जाएगा - जो शोषण के संभावित स्थान हैं।

धारा 35. *(I) किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद फिलहाल प्रवर्तमान, मजिस्ट्रेट पुलिस से या अन्यथा जानकारी प्राप्त होने पर, किसी भी परिसर या उसके किसी भी हिस्से का इस्तेमाल व्यक्तियों की तस्करी के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, ऐसा नोटिस जारी करें ... नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, इसे क्यों सील नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कारण बताएं ... मजिस्ट्रेट एक आदेश पारित कर सकता है-*

*(i) आदेश के पारित होने के सात दिनों के भीतर, परिसर से निवासी या किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने का निर्देश देना;*

(ii) निर्देशित करता है की परिसर जो कि बचाव या खोज के दौरान तस्करी के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, उसको या उसके किसी भी हिस्से को छोड़ने से पहले मालिक, पट्टेदार, या भूस्वामी, या मालिक का प्रतिनिधि, मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करें ...

प्रस्तावित बिल किसी भी स्थान जिसका उपयोग शोषण के स्थान के रूप में किया गया है, को बनाए रखने को अपराध मानता है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा परिसर कायम रखता है उसको सजा के आदेश है। हालांकि, "शोषण" के लिए उपयोग किया जा रहे परिसर के मामलों में; अपराधी और निवासी परिसर से निष्कासित होने के उत्तरदायी हैं। धारा 35 (I ) (i) मजिस्ट्रेट को सात दिन के कारण बताओ नोटिस के बाद, यौन शोषण के लिए तस्करी में उपयोग किए जाने वाले परिसर से निवासियों को निष्कासित करने के अधिकार देता है। यह एक बेहद समस्याग्रस्त प्रावधान है।

यह धारा 8 के बंधुआ श्रम अधिनियम के प्रावधानों के एकदम  विपरीत है जो बंधुआ श्रम  से मुक्त व्यक्ति और उनके परिवारों को अपने घर से निष्कासित करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत यौनकर्मियों को निष्कासित कर दिया जाता है और कोठों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि कोठे गैरकानूनी परिसर हैं। अनुभव से पता चला है कि यौनकर्मियों के मामले में, उन्हें अक्सर उनके रहने के परिसर से इस आधार पे निकाल दिया जाता है की कोठे तस्करी के परिसर हैं - उनके परिवारों को सड़कों पर फेंक दिया गया है और कोठे को पुनर्विचार के प्रावधान के बिना बंद कर दिया जाता है।

इन प्रावधानों से दो समस्याएं उभरती हैं

- बंधुआ मजदूरों के मामले में परिधान उद्योग, ईंट के भट्टे, कारखाने जैसे कार्य प्रतिष्ठान इन स्थानों में शामिल हैं। पैसे के लिए कोख बेचने के मामले में, शोषण के इन स्थानों में संभावित रूप से क्लीनिक और अस्पताल हो सकते हैं। हालांकि, यह एक प्रश्न है कि प्रस्तावित बिल परिकल्पना करता है या नहीं कि इन स्थानों का शोषण के लिए उपयोग किया जाने की स्थिति में इन परिसरों को बंद कर दिया जाएगा और सभी कर्मचारियों को इस परिसर से निष्कासित किया जाएगा।

- ITPA के प्रावधानों के प्रयोग के इतिहास से यह स्पष्ट है कि प्रश्नित प्रावधान का इस्तेमाल यौनकर्मियों को लक्षित करने और यौनकर्मियों को अपने घरों से निष्कासित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रावधान का प्रयोग यौनकर्मियों को अपने ही परिसर से निष्कासित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि उनपे किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया होगा। ऐतिहासिक रूप से - ITPA की धारा 18 जिसमें से इस प्रावधान का अधिग्रहण किया गया है, कई अवसरों पर कोठों को बंद करने, यौनकर्मियों और उनके बच्चों को निष्कासित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में, हमने मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर में इन मामलों को देखा है - कुछ मामलों में सात दिनों की सूचना अवधि देने के बाद, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोठों को बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया था। एक स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रावधानों का उपयोग ऐसे स्थानों को बंद करने के लिए नहीं किया जाएगा जहां वयस्क सहमत यौनकर्मी अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हों।

7. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

धारा 36. (I) एक व्यक्ति, मानव तस्करी के कृत्य को बढ़ावा देने, खरीदने या सुविधा देने वाला कहा जाता है, अगर वह व्यक्ति-

(ii) विज्ञापन, प्रकाशन, प्रिंट, प्रसारण या वितरण, या किसी भी माध्यम से 5 विज्ञापन, प्रकाशन, प्रिंटिंग या प्रसारण या वितरण का कारण बनता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (IT) या किसी भी विवरणिका, फ्लायर या किसी भी प्रचार सामग्री का उपयोग शामिल है जो व्यक्ति की तस्करी को बढ़ावा देता है या किसी भी तरह से तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण; या

इस अनुभाग में बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने और लागू करने की जबरदस्त क्षमता है। "तस्करी या शोषण को बढ़ावा देने" शब्द में व्यापक आयाम है और इस खंड के भीतर आने के लिए कई कार्रवाइयों को समझा जा सकता है। तस्करी या शोषण के कार्य के साथ वास्तविक और प्रत्यक्ष गठबंधन के कठोर मानक को लागू करने के बजाय, कारकता का कमजोर मानक लगाया गया है। यह अस्पष्ट प्रावधान जिसे विशेष रूप से, वयस्क सामग्री वाले वेबसाइटों के प्रकाशन के खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है। क्या वयस्क सामग्री के लेखकों, वीडियोग्राफर, फिल्म निर्माताओं और इंटरनेट साइटों पर तस्करी या शोषण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाएगा?

धारा 39: किसी भी व्यक्ति को ख़रीदना या बेचना

*(2) जो कोई भी अश्लील तस्वीरों या वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मांगता है या प्रचार करता है, अश्लील तस्वीरों या वीडियो को लेता है या वितरित करता है या सामग्री प्रदान करता है या सलाह देता है या पर्यटकों को मुहैया करता है या दलाल या किसी अन्य रूप का उपयोग करता है* ***जो किसी व्यक्ति की तस्करी का कारण बनता है*** *उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो पांच साल से कम नहीं हो सकता है लेकिन दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी होगा जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो एक लाख रुपए तक बढ़ा सकता है।*

धारा 39 (2) के व्याकरण संबंधी उलटफेर तो एक ओर, यह अनुरोध विरोधी प्रावधान गंभीर रूप से समस्याग्रस्त है, यह अस्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य या कार्यों की भी सज़ा देता है जो की किसी व्यक्ति की तस्करी से न जुड़ा हो। दूसरे शब्दों में, प्रावधान के अनुसार दण्डित करने के लिए किसी भी कार्रवाई को उनके इरादे या यहां तक कि नतीजे में तस्करी से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि परिणाम के संभावित संबंध ही काफी हैं।

यह सनक जोकि वास्तविक कारकों की उपेक्षा करती है या यहाँ तक कि सम्भव्यत्मक कारणों को अनदेखा कर, मानक आपराधिक कानून (जिसमें आपराधिक कृत्य के साथ आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता है।) को सीधी चुनौती देती है। इस बुरी तरह से लिखा गया प्रावधान का अत्यधिक व्यापक दायरा इसे दुरूपयोग के लिए उन्मुख करता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में प्रावधान

निम्नलिखित व्याख्या को शामिल करने की अनुमति देता है: 'जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रचार कर के कोई भी सामग्री प्रदान करता है, जो किसी व्यक्ति की तस्करी का कारण बनता है, उसे दंडित किया जाएगा ...'। यहां तक कि तस्करी पर एक शैक्षणिक अध्ययन का इलेक्ट्रॉनिक प्रचार भी प्रावधान के तहत आ सकता है क्योंकि प्रावधान के वर्तमान रूप से यह तर्क लिया जा सकता है की प्रकाशन अध्ययन जो तस्करी के प्रसार को दिखाता है वह 'किसी व्यक्ति की तस्करी का कारण बन सकता है'! कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि एक अकादमिक अध्ययन जो अत्यधिक उच्च दरों पर तस्करी संख्या दिखाता है, उसे इस प्रावधान के तहत धमकी दी जा सकती है। इसी तरह, बड़ी संख्या में फैले हमारे स्वयंनियुक्त नैतिकता के अभिभावकों में से कोई भी इस प्रावधान के भीतर किसी भी ऐसे कलात्मक काम को खींच सकता है जिसे वे व्यक्तिगत रूप से आक्रामक या 'अश्लील' पाते हैं। सीधे शब्दों में, बिना जोड़ने का बोझ डाले, यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की तस्करी के लिए कुछ भी 'प्रमुख कारक हो सकता है'। कहने की जरूरत नहीं है की यह स्वतंत्र भाषण पर गंभीर प्रभाव के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, खासकर तस्करी के मुद्दों पे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक भाषण पर।

धारा 41: मीडिया से संबंधित अपराध

*41. (1) जो कोई भी मीडिया की सहायता से किसी व्यक्ति की तस्करी करता है, जिसमें प्रकाशन, इंटरनेट, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मिलित है, लेकिन*

*इतने तक ही सीमित नहीं है, उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो सात साल से कम नहीं होगा लेकिन दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।*

(2) जो भी, शोषण के उद्देश्य या पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों के जबरन या गैरकानूनी लाभ के लिए यौन शोषण, यौन हमला, या बलात्कार की घटनाओं को दिखाते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित रूप में वितरित करता है या बेचता है या भंडारण करता है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन साल से कम नहीं हो सकता है लेकिन सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।

इस बिल के मसौदे ने शायद इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है, की भौतिक संसार के विपरीत, इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल दुनिया के बुनियादी ढांचे के लिए इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों के अधिकांश रूपों के दौरान जानकारी को संभालने के लिए तीसरे पक्ष के मध्यस्थों की आवश्यकता होती है, भले ही यह संचरण, भंडारण या प्रदर्शन हो। चूंकि यह मध्यस्थों के लिए वांछनीय या व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, मध्यस्थ द्वारा स्थानांतरित या संग्रहीत किए जाने वाले प्रत्येक डेटा की वैधता को सत्यापित करने के लिए, मध्यस्थों के लिए कानून में 'सुरक्षित शरण प्रावधान' प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें उनके द्वारा प्रसारित की जाने वाली जानकारी की देयता से बचाया जाता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि स्थापत्य

सम्बन्धी आवश्यकताएं और मध्यवर्ती मंच के रूप में कार्य करने वाली संस्थाएं आसानी से और डर के बिना संचालित करने में सक्षम हैं।

यदि मध्यस्थों को यह सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो यह उन्हें डेटा की अनियंत्रित मात्रा की निगरानी करने और नियमित रूप से निगरानी के कारण होने वाली गलतियों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करने की अपरिहार्य स्थिति में रखती है। इसके अलावा, ऑनलाइन भाषण की अभिव्यक्ति पर एकाधिक प्रहरी रखने से स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता मुद्दों के कई स्तर जुड़े हुए हैं । इस प्रावधान की उदार समझ देखें, जो तीसरे पक्ष के मध्यस्थों के लिए सुरक्षित शरण प्रावधान को नहीं पहचानता है, तो यह दीखता है कि प्रावधान के मसौदे को यह एहसास नहीं हुआ है कि जो उपयोगकर्ता ऑनलाइन जानकारी के हस्तांतरण को डालते और शुरू करते हैं, वे वही पक्ष  नहीं हैं जो जानकारी के वास्तविक संचरण करते हैं।

ऑनलाइन जानकारी के वितरण, बिक्री या भंडारण के लिए मध्यस्थों को जानकारी के संचरण के साथ-साथ मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर ऐसी जानकारी के अस्थायी भंडारण की आवश्यकता होगी। भारत में, जानकारी के संचरण या अस्थायी भंडारण के साथ जुड़े मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी

अधिनियम') की धारा 79 द्वारा सुरक्षित शरण प्रावधान[14] प्रदान किया जाता है, जब तक वे:

*(i) केवल 'वाहक' के रूप में कार्य करें और प्रसारण शुरू नहीं करें, प्रसारण को ग्रहण करने वाले का चयन करें, या प्रसारण में निहित जानकारी का चयन या संशोधित करें।*

---

[14] 2016 में, माईस्पेस इंक बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीज़न बेंच ने मध्यस्थों के लिए एक सुरक्षित शरण प्रावधान की प्रतिरक्षा आवश्यक थी क्योंकि यह तीसरे पक्ष से पूर्व-स्क्रीन सामग्री के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं था, और यह कार्य इस जिम्मेदारी के साथ मध्यस्थों के स्वतंत्र भाषण पर एक डरावना प्रभाव डाल सकता है। यह माना गया कि उनकी जिम्मेदारी 'वास्तविक ज्ञान' प्राप्त करने के कार्य तक ही सीमित थी। इससे पहले, यह निर्धारित करने के किये के 'वास्तविक ज्ञान' क्या है, 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट को अदालत या सरकारी आदेश के माध्यम से 'वास्तविक ज्ञान' को नोटिस के रूप में होना आवश्यक था। इस प्रकार हमारे वर्तमान कानून के तहत, मध्यस्थों को एक दायित्व से सुरक्षित शरण प्रावधान दिया गया  है जब तक कि वे अदालत या सरकारी आदेशों जो की उन्हें उनके द्वारा ली जाने वाली आवश्यक सामग्री के बारे में सूचित करते हैं।

*(ii) इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों को निर्वहन करते समय उचित परिश्रम का प्रयोग कर, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दिशानिर्देशों का पालन कर सकते हैं।*

सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडिएरी दिशानिर्देश) नियम, 2011, आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत छूट का दावा करने के लिए मध्यस्थों द्वारा उचित सावधानी बरतने के स्वरुप को सूचीबद्ध करता है। मध्यस्थों को सुरक्षित शरण प्रावधान नहीं दिया जाएगा, अगर उन्होंने गैरकानूनी कृत्य की साजिश, सहायता या उसको प्रेरित किया है, या यदि वे वास्तविक सूचना मिलने के बाद भी जानकारी तक पहुंच को हटाते नहीं या अक्षम नहीं करते हैं, या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा प्रेषित या संग्रहीत जानकारी की राज्य को सूचना नहीं देते हैं । इस प्रकार यह देखा जा सकता है, आईटी अधिनियम मध्यस्थ देयता के लिए पहले से गहराई से शासन प्रदान करता है, और इसके गैर-बाधा खंड को बताया गया है कि "फिलहाल  के लिए किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद" आईटी अधिनियम की धारा 79 लागू होगी, साथ ही साथ धारा 81 के माध्यम से आईटी अधिनियम के अधिभावी प्रभाव की पुनरावृत्ति, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव किसी भी अन्य कानून में असंगत होने के बावजूद  होगा (कॉपीराइट और पेटेंट  अधिकार के प्रयोग को छोड़कर), इसे आम तौर पर इस मुद्दे के लिए उपयुक्त कानूनी

ढांचा माना जाता है। तथापि, ऐसा लगता है कि 2018 एंटी-तस्करी बिल के मसौदे ने इस पहलू को बिल्कुल नहीं माना है, क्यूंकि उन्होंने बिल में इस संदर्भ में आईटी अधिनियम का संदर्भ नहीं दिया है, और बिल के धारा 59 में अतिरिक्त रूप से अपना स्वयं का गैर-बाधा खंड जोड़ा है:

*59. इस अधिनियम के प्रावधान, फिलहाल इसके अलावा होगा और किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनादर में नहीं और, किसी भी असंगतता के मामले में,*

*इस अधिनियम के प्रावधानों में असंगतता की सीमा तक ऐसे किसी भी कानून के प्रावधानों पर ओवरराइडिंग अधिभावी प्रभाव होगा।*

तो, शासन आईटी अधिनियम द्वारा निर्धारित सुरक्षित शरण प्रावधान की अनुमति देता है, जबकि शासन एंटी-ट्रैफिकिंग बिल द्वारा निर्धारित सुरक्षित शरण प्रावधान की अनुमति नहीं देता है, और दोनों कहते हैं कि वे किसी भी विरोधाभासी कानून के लिए एक ओवरराइडिंग प्रभाव डालेंगे। इस विधायी गड़बड़ी को संभावित सिद्धांत का उपयोग करके हल किया जा सकता है जो कहता है कि एक विशेष कानून सामान्य कानून पर लागू होता है। क्योंकि ये दोनों तकनीकी रूप से विशेष अधिनियम हैं इसलिए यह अभी भी थोड़ा मुश्किल है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तस्करी पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में तस्करी विरोधी अधिनियम के संदर्भ को देखते हुए, और कानून और प्रौद्योगिकी के इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित करता आईटी अधिनियम का संदर्भ, तस्करी विरोधी अधिनियम की धारा 41(2) के प्रयोजनों के लिए, आईटी अधिनियम विशेष कानून है। और इस प्रकार आईटी

अधिनियम की धारा 79 को तस्करी विरोधी अधिनियम की धारा 41 (2) के प्रासंगिक हिस्से को अनावश्यक बनाना चाहिए। इस तर्क/ समझ के बाद अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता होगी ताकि खंड 41 (2) के अनावश्यकता और विरोधाभासी हिस्से को दूर किया जा सके।

## 8. कमज़ोर जनसँख्या का अपराधीकरण / कलंकित करना

१. भीख मांगना

ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो भीख मांगते हैं, इस कानून के पूर्वावलोकन में आएंगे, जैसे कि भिखारी। तस्करी साबित करनी होगी लेकिन यौनकर्मियों की तरह ही ट्रांसजेंडर जो भीख मांगते हैं वे तस्करी पीड़ित की तरह पुनर्वास के लिए उठाए जाएंगे।

२. सेक्स वर्क

बचाव, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन से संबंधित विधेयक के प्रावधान वयस्क सहमत यौनकर्मियों पर तब तक लागू किए जाएंगे जब तक वे स्पष्ट रूप से मसौदा विधेयक[15] से बाहर नहीं किये जाते। जब तक ऐसा न हो, अनैतिक तस्करी

[15] उच्चतम न्यायलय द्वारा बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में अपने आदेश दिनांक 19/07/2011 के तहत नियुक्त पैनल की अंतिम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से यह कहती है की: "यौनकर्मियों की जबरन हिरासत, भारतीय संविधान व् अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों में प्रतिष्ठापित स्वाधीनता के

रोकथाम अधिनियम के प्रावधान निरस्त नहीं किये जायेंगे , वैश्याघर रखना, यौनकर्म की कमाई से जीवन यापन करना,सार्वजनिक स्थान के प्रावधान यौनकर्मियों और तीसरे पक्ष जो उनके काम का समर्थन करते हैं, के खिलाफ प्रयोग होते रहेगा । यौनकर्मियों का अनुभव दिखाता है कि कानून के इरादे को ध्यान में न रख कर कानून को अलगाव में उपयोग किया जाता है। फिलहाल आईटीपीए के प्रावधानों के अनुसार यौनकर्मी :-

- यौनकर्मियों को वेश्याघर चलने के अपराध के तहत उठाया जाता है, जब वे सिर्फ एक साथ रह रही हैं और एक-दूसरे का सहारा बानी हुई हैं। उन्हें लंबे समय तक जमानत से वंचित कर दिया जाता है

- यौनकर्मियों को सुरक्षित रूप से काम करने के लिए समर्थन करने वाले तीसरे पक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिरासत में रखा जाता है
- वयस्क यौनकर्मियों के यह बताने के बावजूद कि वे वयस्क सहमति से इसमें हैं और तस्करी से नहीं लाये गए हैं[16], पुनर्वास गृहों से रिहाई से इंकार कर दिया गया है । 15 वीं अंतरिम रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय पैनल ने सिफारिश की थी कि यौनकर्मी जो एक साथ रहने वाले और

---

अधिकार, क़ानून के समान संरक्षण और मूलभूत स्वतंत्रताओं का उलंघन करती है"

[16] RAIDED, SANGRAM, VAMP, 2018. https://www.sangram.org/resources/RAIDED-E-Book.pdf

पारस्परिक लाभ के लिए काम करते हैं, को कानून के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके बावजूद, यौनकर्मियों को जबरन बचाया गया और पुनर्वास गृहों में बिना सुनवाई के कैद किया गया ।

- उदाहरण के लिए VAMP और SANGRAM द्वारा किए गए एक अध्ययन में, 243 महिलाओं में से जिन्हें तस्करी विरोधी गैर-सरकारी संगठनों और AHTU द्वारा जबरन बचाया गया था, 193 महिलाओं ने कहा कि वे वयस्क हैं और यौनकर्म में सहमति से हैं । इसके बावजूद, उन्हें पुनर्वास गृहों में अपील के बिना हिरासत में रखा गया, उनमें से कुछ को तो 3 साल तक[17] ।

1. वयस्क व्यक्ति अपने स्वयं के संस्करण पर सेक्स वर्क कर रहे हैं और उनके ग्राहकों[18] को प्रस्तावित मसौदा विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए ।

---

[17] पृष्ठ संख्या ५४, तालिका १० RAIDED, SANGRAM, VAMP, 2018. https://www.sangram.org/resources/RAIDED-E-Book.pdf

[18] वर्मा कमेटी द्वारा भारतीय दंड संहिता की संशोधित धारा 370 में जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है की; "संशोधित धारा 370 की व्याख्या इस प्रकार नही की जानी चाहिए कि क़ानून लागू करने वाली संस्थाओं के पास उन यौनकर्मियों या उनके ग्राहकों को प्रताड़ित करने की अनुमति है जोकि स्वेछा से गतिविधि कर रहे हैं । समिति यह आशा करती है की क़ानून लागू करने वाली संस्थाएं संशोधित धारा को इसके शब्दों और भावना में लागू करेंगी ।" ईमेल दिनांक 8 फरवरी,

इसे लक्ष्य के बयान और मसौदा विधेयक के कारणों में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ।

2. मसौदा विधेयक परिभाषा में होना चाहिए और रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के संदर्भ में सभी प्रासंगिक वर्गों में स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा पर सेक्स वर्क कर रहे हैं, उन्हें प्रावधानों[19] के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए ।

---

2013, गोपाल सुब्रमणियम, भारतीय दंड संहिता की धरा 370 के सुझावित संशोधन के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति द्वारा स्पष्टीकरण ।

[19] महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष संवाददाता ने संयुक्तराष्ट्र महासभा के समक्ष प्रस्तुत भारत देश की रिपोर्ट में (1 अप्रैल 2014) "मानव तस्करी और सेक्स वर्क को जोड़ देने की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है । और जब यौनकर्मी को तस्करी के शिकार के रूप में पहचाना जाता है, तो उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता उनकी विशेष आवश्यकताओं के लिए लक्षित नहीं होती है ।" उन्होंने चिंता के साथ यौनकर्मियों के लिए पुनर्वास केंद्रों और हिरासत में होती हिंसा के बारे में आगे और उल्लेखित किया हैं । विशेष संवाददाता ने ITPA की समीक्षा की मांग की "जिससे की यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव तस्करी जूझने के कदम यौनकर्मियों के मानवाधिकारों के संरक्षण को अनदेखा न कर दे।" विशेष

3. स्वेच्छा से सेक्स वर्क कर रहे वयस्क को हिरासत में नहीं ले सकते न ही आरोपी के तौर पे और न ही "सुधार" के लिए बचाया जा सकता है ।

यौनकर्मियों के प्रतिनिधित्व की कमी

जिला से ले कर केंद्र तक मसौदा विधेयक की समितियों के प्रत्येक स्तर पर यौनकर्मियों के प्रतिनिधित्व की कमी है। जिला / राज्य विरोधी तस्करी समिति में सेक्स वर्कर संगठनों या संस्थाओं, जो यौनकर्मियों के अधिकारों के लिए काम करने के ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, की भागीदारी होनी चाहिए । यौनकर्मियों , पीड़ित महिलाओं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों पर काम करने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले वकीलों को समिति में शामिल किया जाना चाहिए । समिति को राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के प्रतिनिधि को शामिल करना होगा । नेशनल एंटी-ट्राफिकिंग बोर्ड को सेक्स वर्क नेटवर्क्स / समूह के सदस्यों को, सेक्स वर्कर्स के अधिकारों सहित महिलाओं के अधिकारों पर काम करने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले कार्यकर्ताओं को शामिल करने चाहिए । सहकर्मियों द्वारा समर्थन और परामर्श के कोई अवसर नहीं होने से, प्रक्रियाओं में यौनकर्मियों के प्रतिनिधित्व और परामर्श की कमी भी है ।

अभियोजन और न्यायिक रुझान - तस्करी किये गए व्यक्ति का शोषण

---

संवाददाता की महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उसके कारणों व परिणामों पर रिपोर्ट, रशीदा मंजु। मिशन टू इंडिया। 1 अप्रैल 2014. A/HRC/26/38/Add.1

वर्तमान में न्यायिक प्रवृत्ति यौनकर्मियों के ग्राहकों पे मुकदमा चलाने वाली प्रतीत होती है। न्यायालयों ने IPTA के तहत आरोपों को रद्द करने के बाद, भारतीय दंड संहिता धारा 370 - तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण; के तहत अभियोजन पक्ष को  निर्देशित किया है । अभियोजन पक्ष और न्यायिक रुझान यौनकर्मियों के अनुभवों से प्रमाणित होते हैं । भारतीय दंड संहिता धारा 370 A के संदर्भ में, जो वयस्क या नाबालिग तस्करी किये व्यक्ति के शोषण को आपराधिक बताती है, ये यह संकेत करता है कि यौनकर्मियों के ग्राहकों को यह ज्ञान है कि व्यक्ति की तस्करी की गई थी और उन्हें ऐसे ज्ञान या विश्वास को गलत स्थापित करना होगा। "तस्करी पीड़ितों" और "वयस्क यौनकर्मी महिलाओं" के बीच अंतर करने के प्रयास किए बिना, धारा 370 ए का उपयोग वयस्क यौनकर्मियों के ग्राहकों को गिरफ्तार करने के लिए पहले से ही किया जा रहा है। असल में, 2016 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय सुओ मोटो संज्ञान लिया और पुलिस को भारतीय दंड संहिता धारा 370 के तहत यौनकर्मियों  के ग्राहकों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया ।

विधायिका को आम चलन को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाने की जरूरत है, विशेष रूप अपराधों की रचनाओं के संबंध में, जैसे भारतीय दंड संहिता धारा 370 के तहत तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण ।

3. बच्चे को जन्म देना

*[जो भी स्वाभाविक रूप से या सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से तस्करी का अपराध करता है] धारा 31 (ii).*

प्रस्तावित सरोगेसी बिल की तर्ज पर, वयस्क महिला के किराये की कोख बनने का चुनाव करने की 'सहमति' को नदारद/ अनदेखा किया जा रहा है । जबकि सरोगेट शब्द / सरोगेसी शब्द विशेष रूप से विधेयक में नहीं लगाया जाता है, ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सरोगेसी बिल 2016 का उपयोग नमूने  के रूप में किया गया है । लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि सरोगेसी विधेयक संसद में अभी तक पेश नहीं किया गया है और सार्वजनिक बहस और कमाई के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध पर चर्चा सुलझने से दूर है । व्यापक स्तर पर सरोगेसी बिल के संबंध में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने के तरीके पर सवाल उठाने की आवश्यकता है ।

इसके अलावा, ऐसा लगता है कि सभी सरोगेसी को शोषण माना जा रहा है और तस्करी के बराबर देखा जा रहा है । जैसा कि अन्य श्रम विकल्पों के मामले में है, जो इस कानून में उल्लेख मिलता है, ऐसा लगता है कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति में सरोगेट बनने की सहमति देने में सक्षम नहीं है, और यह जमीनी वास्तविकता से बहुत दूर है ।

4. HIV / AIDS के साथ रहने वाले लोगों को लांछित करना

*[जो भी मानव तस्करी का अपराध करता है और यदि पीड़ित तस्करी के कारण जीवन में खतरनाक बीमारी का सामना करता है,* HIV / AIDS *सहित] धारा 31 (viii)*

इस अनुभाग को सभी व्यावसायिक खतरों का जिक्र करने की जरूरत है । विशेष रूप से और सिर्फ HIV का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कलंक को बढ़ाता है । ART की उपलब्धता के साथ, HIV एक जीवनपर्यन्त चलने वाली पर, बिना - खतरा की स्थिति बन गई है ।

HIV / AIDS के संबंध में, **तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत सहमति (सूचित), परामर्श और गोपनीयता** कानून के भीतर उल्लेख किया जाना चाहिए । इस मामले में तस्करी किये गए व्यक्ति को किसी भी संक्रमण / बीमारी के लिए विशेष रूप से STI या HIV / AIDS के लिए परीक्षण किया जा रहा है, तो उसे जाँच के पहले का परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, उसकी सूचित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए । यदि व्यक्ति परीक्षण नहीं करना चाहता है, तो उसके अधिकार सुरक्षित होना चाहिए । अगर वह अपनी खुद की इच्छा के परीक्षण से गुजरती है, तो परीक्षणों के नतीजे गोपनीय रखे जाने चाहिए और सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए ।

## 9.जमानत अधिकार का उल्लंघन

**एस 52** *(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद,-*

(a) ***संहिता की धारा 438 में कुछ भी इस अधिनियम के तहत दो साल से अधिक की कारावास के साथ अपराध करने के आरोप में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा ।***

(b) इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया गया कोई व्यक्ति, जमानत पर या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा, *जब तक:-*

*(i) विशेष पब्लिक प्रासीक्यूटर को इस तरह के रिलीज के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया हो;*

*(ii)* ***जहां विशेष पब्लिक प्रासीक्यूटर आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि इस बात पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर कोई अपराध करने की संभावना नहीं है; तथा***

ऐसे दो प्रावधान हैं जो किसी अपराध के दोषी होने तक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने के प्रयास को समाप्त करने का कारण देते हैं । पहला प्रयास प्रस्तावित बिल के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को दो साल से अधिक की कारावास के लिए अग्रिम जमानत अस्वीकार है । आपराधिक संहिता में अग्रिम जमानत प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जब तक दोषी न पाया जाये, तब तक कोई भी व्यक्ति सीमित नहीं होगा । जैसा कि पहले बताया गया है कि यह प्रावधान न केवल हानिकारक है बल्कि पीड़ितों के खिलाफ दुरुपयोग और झूठे मामले दर्ज करने में किया जायेगा ।

नियमित/ साधारण ज़मानत पर लगाई गई शर्तों पर दूसरा प्रावधान उतना ही समस्याग्रस्त, धारा 52 (2) (b) (ii) है । जेल नहीं ज़मानत अदालतों[20] द्वारा पालन किया जाने वाला मौलिक मानदंड है । निर्दोषता की धारणा आपराधिक न्यायशास्त्र की पहचान है । अपराध साबित होने से पहले व्यक्ति की जेल में कैद, जीवन का, स्वतंत्रता का और निर्दोषता की धारणा का अधिकार बदलता है। परिस्थितियां दिखाती हैं जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार यह है कि व्यक्ति भागने या चले जाने का या गवाहों को धमकाने या अन्य अपराध करने का इरादा रखता है । सामान्य कानून के तहत जमानत के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु बंद के अपराधियों को पब्लिक प्रासीक्यूटर को सूचना देनी होगी, और जमानत पर रिहाई के महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उसे सुनना होगा । वर्तमान उपधारा 52 (2) (b) (ii) कहता है के जमानत देने से पहले, 'आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है इसपे  विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए । यह ज़मानत देने  से इंकार, कैद, स्वतंत्रता पे रोक और उसपे अपराध साबित करने जैसा है ।

नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक्स सबस्टेंस एक्ट, 1987 (NDPS) की धारा 37 (1) में एक समान प्रावधान है कि आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो कि आरोपी दोषी नहीं है। NDPS के तहत प्रावधान के कामकाज के अनुभव से पता चलता है कि इसका

---

[20] राजस्थान राज्य बनाम बालचंद AIR 1977 SC 2447

परिणाम जमानत की मनाही और वर्षों कैद के रूप में होता है । इसीप्रकार बिना सुनवाई के लम्बी कारावास के नतीजे वाले, आतंकवाद अधिनियम (POTA) और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (TADA) की रोकथाम में इसी तरह के कठोर प्रावधानों के परिणामस्वरूप मानव अधिकार आंदोलन से सबल आलोचना मिलती है ।

ITPA के कोठों के मालिक होने के आरोपों के तहत बुक किए गए यौनकर्मियों का अनुभव पहले से ही संकेत देता है कि उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है और नियमित जमानत से इंकार कर दिया जाता है । महिलाओं को जमानत पाने के लिए 4-5 महीने के बीच लग जाते है वो भी जब उन्हें उनके यौन कार्यकर्ता समूह द्वारा समर्थन मिल रहा हो । ऐसी परिस्थितियों में जहां महिलाओं की इस तरह के सामूहिक लोगों तक पहुंच नहीं है, वे बढ़ा चढ़ा के लगाए तस्करी के आरोपों, महिलाओं को यौनकर्म में मजबूर करते हैं या यौनकमियों की कमाई पर जीवन यापन करते हैं, में जेल में अनिश्चित अवधि के लिए बंद रहती हैं । इन प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक है।

## 10.अच्छी भरोसे में की गई कार्यवाही की सुरक्षा (एस 53)

वर्तमान प्रावधान केंद्र और राज्य सरकार और सरकारों के निर्देशों के तहत काम करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करता है । गैर सरकारी संगठनों की पहल पर कई छापे, बचाव और जबरदस्त पुनर्वास उपायों का आयोजन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 'बचाये गए' व्यक्तियों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन

किया जाता है । इन छापे और बचाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता या उत्तरदायित्व की कोई प्रक्रिया नहीं है । यह एक तथ्य है कि इनमें से कई गैरसरकारी संगठन दाताओं से परियोजना निधि प्राप्त कर रहे हैं ताकि वे "तस्करी के पीड़ित" के नाम पर व्यक्तियों की सहमति के खिलाफ उन्हें लंबे समय तक कैद कर सकें । हिंसा और अमानवीय व्यव्हार के कई किस्से रहे हैं ख़ास तौर पर उन युकर्मियों में खिलाफ जो रिहा होने की कोशिश कर रहे हैं ।

प्रस्तावित विधेयक की वर्तमान योजना के तहत, जिला तस्करी विरोधी समिति को पीड़ित  के पुनर्वास की / उस पर मजिस्ट्रेट को सलाह देने की / पुनर्वास योजना बनाने की अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं । हालांकि, प्रस्तावित बिल में जवाबदेही के तंत्र निर्धारित नहीं किए गए हैं । जिला विरोधी तस्करी समिति द्वारा रखी गई पुनर्वास योजनाओं से बाहर निकलने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अपील की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है । बचाव करने वाले एजेंसियों को उल्लंघन के लिए दीवानी और आपराधिक कानून में जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है ।

## 11. विशेष घरों और संरक्षण घरों के लाइसेंस

नियमित अंतराल पर विशेष घरों और संरक्षण गृहों की गुणवत्ता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । प्रस्तावित विधेयक में विशेष घरों और संरक्षण गृहों के लाइसेंस रद्द करने और पंजीकरण के लिए स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए यदि किसी भी बचाए गए व्यक्ति दुर्व्यवहार और उत्पीड़न या मजबूर हिरासत की

शिकायत करते हैं । इस तरह के विशेष होम या प्रोटेक्शन होम चलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ जहां दुर्व्यहार की सूचना दी गई है, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए ।

## 12. बहुस्तरीय तंत्र

अधिनियम कई बहुस्तरीय तंत्र को विस्तारित करता है, लेकिन अभ्यास से पता चलता है कि इस तरह का मानचित्र निम्नलिखित समस्याओं से भरा हुआ है:

a) मौजूदा पुलिस मशीनरी के साथ कार्यात्मक संबंध अस्पष्ट

b) अंततः एक ही अधिकारी पर कई कार्य लाद दिए जायेंगे जोकि अनुत्पादक होने की बड़ी संभावना रखते हैं

c) इन सभी तंत्रों के लिए बजट श्रेणियां अनिर्दिष्ट हैं

d) उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए समयरेखा अनिर्दिष्ट हैं

e) 'सामाजिक कार्यकर्ताओं' के चयन के लिए मानदंड, और कल्याण संगठन इस तरह के तंत्र का हिस्सा होने के लिए अस्पष्ट हैं और निहित हितों, नैतिक पुलिस और अतिसतर्कता के लिए रास्ता खोल सकते हैं ।